न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 25/2026

1. नरमजीत कौर पत्नी करनैल सिंह पुत्री गुरबक्स सिंह जाति मजहबी निवासी सलेमपुरा खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलान्ट

बनाम

01. जगतारसिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी 11 एच तहसील करणपुर नत्थूराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
02. मुख्त्यार कौर पुत्री भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
03. लिला सिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
04. सुखदेव कौर पुत्री भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
05. ग्राम पंचायत 25 केवाईडी जरिये सरपंच पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 17.04.26**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री विजयकुमार अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के नाना भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी निवासी 11 एच तहसील करणपुर पुख्ता आवंटी आवंटन हुई थी। विवादित भूमि चक 26 केवाईडी में मु0नं0 59/49 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड 5.5640 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलांट की माता मिल्खों व पिता गुरबक्स सिंह का अपीलांट की बचपन में देहान्त हो गया था। अपीलांट के नाना का देहान्त दिनांक 11.12.1980 को हो गया था। विवादित भूमि का विरासतन नामान्तरण अपीलांट की माता के वारिसान को छोड़कर रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 के नाम विरासतन नामान्तरण रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अपीलांट के नाना भागसिंह के देहान्त हो जाने के बाद निम्न जायज वारिसान हैः– जगतारसिंह (पुत्र), मुख्त्यार कौर (पुत्री), लिला सिंह (पुत्र), सुखदेव कौर (पुत्री), मिल्खों (पुत्री फौत) एवं मिल्खों के निम्न जायज वारिस हैः– नरमजीत कौर (पुत्री) है। अपीलांट के नाना की आवंटित भूमि अपीलांट के नाना के देहान्त पश्चात रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर विरासतन नामान्तरण दर्ज रिकॉर्ड हुई। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया लेकिन अपीलांट को विरासतन नामान्तरण दर्ज करने बाबत् ना तो कोई नोटिस मिला ना इसकी जांच की गई, स्व. भागसिंह पुत्र माणकसिंह कितने वारिस है बिना जांच किये पीठ पीछे निर्णय दिया गया इसलिए विरासतन नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट भागसिंह की दोहिती है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट भी उपरोक्त भूमि में वारिस होने के कारण हकदार है। दिनांक 24.06.25 को आदेश एकपक्षीय व पीठ पीछे दिया गया इस आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थी व ग्राम पंचायत 25 केवाईडी के सरपंच द्वारा उक्त विरासतन ईन्तकाल को पूर्ण जानकारी होते हुए भी विरासतन नामान्तरण स्वीकार कर दिया जो कि खारिज योग्य है। रेस्पो0 सं0 1 व 3 बहुत ही शातिर व्यक्ति है जो अपीलांट के विरासतन नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 से वंचित रखकर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। अपीलांट उक्त भूमि का फर्द खाता लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गई तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया की आपकी माता के नाम हिस्से आई भूमि आपके नाम से कभी विरासतन दर्ज नहीं हुई है बल्कि इंतकाल सं0 259 दिनांक 24.06.25 से उक्त भूमि केवल रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। वर्तमान में चक 26 केवाईडी मु0नं0 59/49 के किला नं0 1 ता 25 में 5.5640 हैक्टर कमाण्ड पुख्ता आवंटी भूमि नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुआ की प्रथम बार जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.01.26 को हुई है। दिनांक 16.01.26 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास गई तथा नामान्तरण सं0 259

की प्रमाणित नकल दिनांक 21.01.2026 को प्राप्त हुई तथा बिना किसी देरी करते हुए अपने वकील के पास आई अपील तैयार करवाकर दिनांक 22.01.26 को अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है। रेस्पो0 सं0 1 ता 4 आपस में मामा–मौसी व भाणजी है जो कि नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किया जावें। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त कर अपीलांट का रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने जरिये अधिवक्ता श्री हंसराज देहडू उपस्थित होकर अपीलांट की अपील स्वीकार करने के पक्ष में शपथपत्र प्रस्तुत किया है एवं साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता श्री हंसराज देहडू साथ ही लिखित में प्रार्थनापत्र दिया गया है, उसमें भी उल्लेख किया है कि अपीलांट मिल्खों की एकमात्र वारिस है जिसका प्रश्नगत भूमि में विरासतन इंतकाल में 1/5 हिस्सा दर्ज होने से सहवन से रह गया है इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर विरासतन इंतकाल सं0 259 को खारिज कर पुनः 1/5–1/5 हिस्सा विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने की सहमति देते हुवे निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रश्नगत रकबा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के 1/5–1/5 हिस्सा बराबर विरासतन दर्ज के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्ष की बहस अनुसार उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से अपील का निस्तारण करवाना चाहते है एवं पक्षकारों में आपसी सहमति बन गई है। उभयपक्ष अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने हेतु सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार के काबिल है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के विरासत नामान्तरण सं0 259/25 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)